प्रो० हर्ष कुमार
कुलानुशासक

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज - 211002
मोबाइलः 9415217778

रैगिंग में संलिप्तता के आधार पर दोषी पाये जाने पर निर्धारित दण्ड

1. रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर किसी छात्र को निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक दण्ड दिया जा सकता है–
   - (a) शैक्षिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध
   - (b) छात्रवृत्ति रोकना/वापसी, फेलोशिप और अन्य लाभों से वंचित किया जाना
   - (c) किसी भी परीक्षा/परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रदर्शित होने से रोकना
   - (d) परीक्षा के परिणामों पर रोक
   - (e) किसी भी संस्था का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धा, टूर्नामेन्ट, युवा त्यौहार, आदि में प्रतिनिधित्व करने से रोकना
   - (f) छात्रावास से निलम्बन/निष्कासन
   - (g) छात्र के रूप में नामांकन/प्रवेश निरस्तीकरण
   - (h) एक से लेकर चार सेमेस्टर की अवधि के लिए संस्था से निष्कासन
   - (i) संस्था से निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश बन्द

2. जहाँ पर किसी व्यक्ति को रैगिंग करने और उकसाने का कार्य नहीं पहचान में आ रहा हो तो सामूहिक सजा का सहारा लेना होगा।